केन्द्रीय विद्यालय संगठन
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
क्षेत्रीय कार्यालय / BHOPAL REGION
E-Mail : acbhopal@yahoo.com

Phone : 2550728 (DC)
2551678 (AC/FO)
2551699 (AC/AO)
Fax : 0755-2553126

Opp. Maida Mills,
Bhopal – 462 011.

फा. 14082/56-1/2015/केविसं/भोपाल/ दिनांक : 11.08.2015.

संयुक्त आयुक्त (कार्मिक),
केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय),
नई दिल्ली

विषय :- केन्द्रीय विद्यालय संगठन, भोपाल संभाग की संयुक्त परामर्शदात्री (जेसीएम) की बैठक दिनांक 31.07.2015 के कार्यवृत्त के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस संभाग की संयुक्त परामर्शदात्री समिति (जेसीएम) की बैठक दिनांक 31.07.2015 को सम्पन्न हुई है । जिसके कार्यवृत्त की प्रति आपके अवलोकनार्थ एवं उचित मार्गदर्शन हेतु संलग्न है ।

संलग्न : यथोपरि ।

भवदीय,

(इसमपाल)
उपायुक्त

वितरण :-

1. संयुक्त आयुक्त (प्रशासन/शैक्षिक), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय), नई दिल्ली ।
2. उपायुक्त (कार्मिक), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय), नई दिल्ली ।
3. उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, समस्त क्षेत्रीय कार्यालय / जेडआईईटी ।
4. क्षेत्रीय परिषद, भोपाल संभाग के समस्त सदस्य ।
5. प्राचार्य, समस्त केन्द्रीय विद्यालय, भोपाल संभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
6. समस्त सहायक आयुक्त / प्रशासनिक अधिकारी / वित्त अधिकारी, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN, REGIONAL OFFICE, BHOPAL

Minutes of the Meeting of Regional Council of Joint Consultative Machinery, Kendriya Vidyalaya Sangathan, Bhopal Region held on 31/07/2015

A meeting of the Regional Council of Joint Consultative Machinery, KVS, Bhopal Region was held on 31/07/2015 at 09.30 AM in the office of KVS, Regional Office, Bhopal.

The following members were present in the meeting :-

OFFICE SIDE		
1.	Shri Isampal, Deputy Commissioner, KVS, Regional Office, Bhopal	Chairman
2.	Shri Vijay Kumar, Principal, Vikram Hr. Sec. School, BHEL, Bhopal	Member
3.	Shri S.S. Dakua, Principal, KV No. 3, Bhopal	Member
4.	Shri M.L. Vishwakarma, Offg. Administrative Officer, KVS, RO, Bhopal	Member Secretary
5.	Shri Manoj Rawtani, Finance Officer, KVS, RO, Bhopal	Special Invitee
6.	Dr. (Smt.) B. Kaur, Assistant Commissioner, KVS, RO, Bhopal	Special Invitee

REPRESENTATIVES ON THE STAFF SIDE		
(A)	Teachers Association (AIKVTA) – 02 members	
1.	Shri Lavneesh Sood, PGT (Physics), KV, Ujjain (Regional President)	Member
2.	Shri Anis Ahmead Daima, TGT (Maths), KV, Neemuch (Regional General Secretary)	Member
(B)	Teachers Association (KVPSS) – 01 member	
3.	Shri Prabhakar Singh, PRT, KV, Khandwa (Regional President)	Member
(C)	Non-Teaching Staff Association (KEVINTSA) – 02 members	
4.	Shri B.L. Patel, Assistant, KV, Dewas (Regional President)	Member
5.	Shri M.K. Nigam, UDC, KV, No. 2, Bhopal (Regional Secretary)	Member

Shri Isampal, Deputy Commissioner, KVS, Regional Office, Bhopal & Chairman of the Regional Council of Joint Consultative Machinery, Bhopal Region welcomed all the members. In his welcome address, he mentioned that he received all sorts of co-operation from every staff of the Vidyalayas.

Sl. No.	Agenda Points	Decision
1.	2.	3.
From – All India Kendriya Vidyalaya Teachers Association (AIKVTA)		
1.	पिछली जेसीएम में पारित प्रस्तावों का विद्यालय स्तर पर अमल नहीं हो रहा है (बिन्दु कृमांक 5, 6 और 10 – जेसीएम दिनांक 14.01.2015)।	पूर्व की जेसीएम बैठक कार्यवृत्त दिनांक 23.04.2014 एवं 14.01.2015 के अनुसार प्राचार्यो को निर्देशित किया जाता है कि उचित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें ।
2.	अवकाश के लिए आवेदन करते समय शिक्षकों को मानसिक प्रतारणा से गुजरना पड़ता है (बिन्दु संख्या 11 – जेसीएम दिनांक 23.04.2014) इसके विपरीत कई कृपा पात्र शिक्षकों को प्राचार्यो द्वारा क्षतिपूर्ति अवकाश देकर लाभान्वित भी किया जाता है । इस संबंध में प्राचार्यो को एक सामान व्यवहार हेतु स्पष्ट दिशा निर्देशों की आवश्यकता है ।	प्राचार्यो को निर्देशित किया जाता है कि अवकाश केविसं / अवकाश नियमों के नियमान्तर्गत बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार किया जाना सुनिश्चित करें ।
3.	उपायुक्त महोदय के स्पष्ट निर्देशों के उपरान्त भी अर्जित अवकाश की इंद्राज सेवा पुस्तिका में नहीं की जा रही है । (बिन्दु कृमांक 10 – आरजेसीएम दिनांक 14.01.2015) । इस संबंध में प्राचार्यो को स्पष्ट दिशा निर्देशों की आवश्यकता है ।	प्राचार्यो को निर्देशित किया जाता है कि वे उपायुक्त, केविसं, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के पत्र दिनांक 03.09.2014 एवं 16.12.2014 द्वारा दिये गये स्पष्ट निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें ।

4.	केवीएस तथा उपायुक्त महोदय के स्पष्ट निर्देशों के बाद भी कर्मचारियों के देयकों का भुगतान समय पर नहीं हो रहा है । (बिन्दु कृमांक 05 – आरजेसीएम दिनांक 14.01.2015) ।	प्राचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि केविसं के पत्र दिनांक 08.07.2014 में दिये गये स्पष्ट निर्देशानुसार उचित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जायें ।
5.	भारत सरकार द्वारा की जाने वाली वर्ष 2011 की जनगणना मे जिन शिक्षकों की ड्यूटी ग्रीष्मावकाश के दौरान लगाई गयी थी उनको इस कार्य हेतु कोई अर्जित अवकाश नहीं दिया गया है जबकि इसी कार्य हेतु दिल्ली और जबलपुर संभाग में इस हेतु अर्जित अवकाश दिया जा चुका है ।	इस संबंध में मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अर्जित अवकाश दिये जाने संबंधी आदेश प्राप्त होने पर विचार किया जाना संभव होगा ।
6.	प्राचार्य, केवी बीना के द्वारा संघ के वरिष्ठ सदस्य श्री ए.के. सोनी को जबलपुर में सम्पन्न संघ के द्विवार्षिक अधिवेशन हेतु विशेष अवकाश प्रदान नहीं किया गया है जबकि इसका प्रावधान लेखा संहिता में भी है । इस संबंध में प्राचार्यों को स्पष्ट दिशा निर्देशों की आवश्यकता है ।	लेखा संहिता के परिशिष्ठ 13(18)(5) एवं केविसं के पत्र दिनांक 25.03.2015 (संगठन की बेबसाईट पर उपलब्ध) के अनुसार उचित कार्यवाही करने हेतु प्राचार्यों को निर्देशित किया जाता है ।
7.	शिक्षकों द्वारा क्षैत्रीय कार्यालय से मांगे गए दिशा निर्देशों, पासपोर्ट तथा अन्य कार्यों हेतु आवश्यक अनापत्ति प्रमाणपत्र आदि जो कि उचित माध्यम से भेजे गए होते हैं, का क्षैत्रीय कार्यालय द्वारा कोई जवाब नहीं दिया जाता है ।	समय-समय पर प्राचार्यों को निर्देशित किया जाता रहा है कि विद्यालयों से निर्धारित प्रारूप/प्रपत्र में पूर्ण जानकारी/ विवरण के साथ आवश्यक अभिलेखों सहित प्रकरण भेजे जाना सुनिश्चित किया जायें, ताकि प्रकरणों का यथाशीघ्र निपटान किया जा सकें ।
8.	वर्तमान में लागू स्थानांतरण नियमो के अंतर्गत स्थानांतरण होने पर किसी शिक्षक को बिना प्रभार हस्तांतरित किए तुरंत ही कार्यमुक्त कर दिया जाता है, तथा शिक्षक को प्रभार हस्तांतरित करने हेतु बुलाया जाता है । लेकिन इस यात्रा हेतु कोई भी TA/DA नहीं दिया जाता है जबकि भारत सरकार के TA/DA नियमों जो कि केवीएस में अक्षरशः लागू होते हैं में इसकी पात्रता है ।	प्राचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि केविसं के नियमानुसार प्रभार हस्तांतरण कार्यमुक्त किये जाने से पूर्व किया जाना सुनिश्चित किया जायें । यदि, रिलिवर उपस्थित न हों, तो अन्य किसी को प्रभार का हस्तातंरण संबंधित को कार्यमुक्त किये जाने से पूर्व कराया जायें ।
9.	क्षैत्रीय कार्यालय पर कर्मचारियों से संबन्धित प्रकरणो के निस्तारण यथा वेतन निर्धारण, वरिष्ठ / चयनित वेतनमान, प्रमोशन आदि से संबन्धित प्रकरणो के निर्धारण हेतु समय सीमा निर्धारित की जाय । सामान्यतया ऐसे प्रकरणो का निस्तारण कई महीनो तक नहीं हो पाता है।	क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर संबंधित प्रकरणों का निपटान केविसं के नियमानुसार यथाशीघ्र किया जायें ।
10.	APAR से संबन्धित प्रकरणों जो कि क्षैत्रीय कार्यालय को पुनरावलोकन हेतु भेजे गये है, का कई माह बीत जाने क बाद भी निराकरण नहीं हो पाया है ।	इस संबंध में संघ द्वारा कोई विनिर्दिष्ठ प्रकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है ।
11.	कुछ विद्यालयों में रेमेडियल कक्षा हेतु विद्यालय के पश्चात 2 बजे से 5 बजे तक एक अगस्त से ही शिक्षकों को आदेशित किया गया है जिससे कि शिक्षक अपने परिवार कि उचित तरह से देख भाल नहीं कर पा रहे हैं । इन कक्षाओं को प्रार्थना सभा के समय पर संचालित किया जाये ।	केविसं के निर्देशानुसार विद्यालयों में रेमेडियल कक्षायें विद्यार्थियों की शिक्षा में उचित सुधार हेतु लगाई जाती हैं ।

12.	के.वी. ओएफ इटारसी में पूर्व मे सभी शिक्षकों को उनके वेतनमान के अनुसार आवास आवंटित किए जाते थे परंतु वर्तमान समय में प्रबंधन द्वारा जीर्ण शीर्ण स्थिति वाले सब स्टाफ के आवास लेने को कहा जाता है । फ़ैक्टरी प्रबंधन द्वारा वेतनमान के अनुसार आवंटन आवास प्रदान करने से यह कह कर मना कर दिया गया कि आवास प्रदान करने हेतु केवीएस के साथ हमारा कोई अनुबंध नहीं है । अतः हम आवास प्रदान करने हेतु बाध्य नहीं हैं । इससे शिक्षिकाओं को विशेषतः परेशानी हो रही है ।	प्राचार्य को निर्देशित किया जाता है कि अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंध समिति से चर्चा कर प्रकरण का उचित निपटान अपने स्तर पर किया जाना सुनिश्चित करें ।
13.	प्रयोगशालाओं कि मानकीकरण हेतु केवीएस द्वारा प्रत्येक प्रयोगशाला में आवश्यक सुविधाओं यथा इंटरनेट कनैक्शन सहित कम्प्युटर, स्केनर तथा प्रिंटर, एलसीडी प्रोजेक्टर आदि कि सूची क्षैत्रीय कार्यालयों के माध्यम से प्रसारित की गयी है परंतु इस सूची पर किसी अधिकारी के हस्ताक्षर न होने कि वजह से इसे कई विद्यालयों मे प्राचार्यों द्वारा मान्यता प्रदान नहीं कि जा रही है । अतः इस सूची को हस्ताक्षर के उपरांत पुनः विद्यालयों मे प्रसारित करवाया जाय जिससे शिक्षा की गुणवता सुनिश्चित हो सके ।	संगठन की बेबसाईट से इस संबंध में निकाली गई सार संक्षिप्त सूचियाँ या अभिलेखों पर अलग से हस्ताक्षर होना आवश्यक नहीं है । प्राचार्य उन्हें विद्यालय स्तर पर अभिप्रमाणित कर लागू कर सकते हैं ।
14.	कुछ विद्यालयों में पद रिक्त होने के पश्चात भी अनुबंध पर शिक्षकों को नहीं बुलाया जाता है व उस पद से संबन्धित कालांशों को शेष अन्य शिक्षकों मे बाँट दिया जाता है यह केवीएस तथा आरटीई के प्रावधानों का उल्लंघन है । इससे शिक्षा कि गुणवता को सुधारने के के वी एस के सभी प्रयासों को गहरा आघात लगता है	इस संबंध में संघ द्वारा कोई विनिर्दिष्ठ प्रकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है । विद्यालयों में अनुबंधित शिक्षकों की नियुक्ति पूर्व से ही की जाती है । यदि किसी विद्यालय में अनुबंध शिक्षकों का पैनल नहीं है, तो आसपास के विद्यालयों के पैनल से नियमानुसार नाम ले सकते हैं
15.	लेखा परीक्षण के दौरान लगाई गयी रिकवरी को वसूलने में कार्यालयों द्वारा बहुत ही शीघ्रता दिखाई जाती एवं शिक्षकों को अपना पक्ष भी प्रस्तुत नहीं करने दिया जाता है जबकि रिकवरी से संबन्धित प्रतिवेदनों की निस्तारण तथा देयकों के भुगतान में उतनी तत्परता नहीं दिखाई जाती है । इस प्रकार के कुछ प्रकरण विभिन्न स्तरों पर अभी भी लंबित हैं । इस संबंध मे समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए एवं शिक्षकों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाना चाहिए ।	प्राचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि केविसं के नियमानुसार ही रिकवरी की जायें तथा समस्त तरह के देयकों का केविसं के नियमानुसार ही सावधानी पूर्वक परीक्षण कर भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जायें, ताकि ऑडिट द्वारा रिकवरी संबंधी बिन्दु का ऑडिट रिपोर्ट में उल्लेख कम से कम हो सकें ।
16.	स्थानांतरण यात्रा बिलो मे कर्मचारी के पर्सनल इफेक्ट के बिलो को केंद्र सरकार के जॉइनिंग टाइम, टीए/डीए नियम मे निर्धारित सीमा तक भुगतान हेतु पास करने के बावजूद भी ऑडिट द्वारा और रिकवरी निकालना (तय सीमा से से अधिक भार के कारण) समझ से परे हे । यदि किसी कर्मचारी के परसोनल इफेक्ट निर्धारित सीमा से अधिक हे तो क्या वह अपने नए कार्यस्थल निर्धारित सीमा का सामान ही लेकर जाए और बाकी का सामान का क्या करेगा ?	पर्सनल इफेक्ट हेतु निर्धारित सीमा से अधिक सीमा का भुगतान संबंधित द्वारा किया जाना चाहिए । इस संबंध में केविसं / टीए नियमानुसार निर्धारित सीमा तक का ही भुगतान किया जा सकता है ।

17.	इस वर्ष ग्रीष्मावकाश मे आयोजित स्काउट एवं गाइड प्रशिक्षण में यदि कुछ शिक्षक किसी वजह जैसे बीमारी एवं महत्वपूर्ण पारिवारिक कारणो आदि से सम्मिलित नहीं हो पाये तो उनको प्राचार्यों ने विद्यालय में कार्यभार ग्रहण नहीं करने दिया एवं वे शिक्षक विद्यालय एवं प्रशिक्षण स्थल आदि के बीच अनवशयक रूप से चक्कर लगाते रहे । इससे शिक्षकों में मानसिक संत्रास उत्पन्न होता है ।	प्राचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि इस तरह के प्रकरणों पर अपने स्तर पर ही विचार करें ।
18.	शिक्षकों के देयकों जैसे चिकित्सा बिल आदि जिनके भुगतान एवं निस्तारण हेतु प्राचार्य ही सक्षम अधिकारी है को भी स्पष्ट नियम होने के बाद भी क्षैत्रीय कार्यालय को प्रेषित कर दिया जाता है जिससे अनावश्यक विलंब होता है तथा क्षैत्रीय कार्यालय में कार्यभार बढ़ता है एवं लंबे समय तक निस्तारण नहीं हो पाता है । इस हेतु महोदय से अनुरोध है कि सभी प्राचार्यों को स्पष्ट निर्देश दें ।	प्राचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि सभी तरह के देयकों का भुगतान नियमान्तर्गत ही किया जाना सुनिश्चित किया जायें ।
19.	श्रीमान पिछले कुछ वर्षों से राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों जैसे समग्र आईडी, छात्रवृत्ति, आधार कार्ड, जाति प्रमाणपत्र, एवं विभिन्न स्थानीय, गैर शासकीय सामाजिक संस्थाओ द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं जैसी चित्रकला, नृत्य, खेल कूद, विचित्र वेषभूषा आदि में शिक्षक व्यस्त रहते हैं जिससे कि अध्यापन कार्य प्रभावित होता है । एवं परीक्षा परिणाम प्रभावित होते हैं । इस संबंध में महोदय से आवश्यक दिशा निर्देशों कि अपेक्षा है ।	प्राईवेट एनजीओ को विद्यालय समय में कक्षाओं के दौरान डेमो दिये जाने के संबंध में प्राचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने स्तर पर प्रकरणों का निपटान किया जाना सुनिश्चित करें ।
20.	सेवा पुस्तिकाओं को वर्ष में दो बार दिखाया जाय ।	नियमानुसार सेवा पुस्तिका वर्ष में एक बार दिखलायी जा सकती है । प्राचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि सेवा पुस्तिकायें नियमानुसार वर्ष में एक बार दिखाया जाना सुनिश्चित करें ।
	From – Kendriya Vidyalaya Pragatisheel Shikshak Sangh (KVPSS)	
21.	Saturday, which is holidays for primary students should be meant for teachers self academic planning, portfolio (teachers/students) development and copy correction. Instead worthless schedule / activities are imposed on them causing loss of such a valuable day.	Teachers are expected to manage to co-operate in day to day activities in the Vidyalaya.
22.	Ample opportunities and resources should be provided to teachers, as individuals, for ICT (specially net based) aided teaching. Net book with internet (Wi-Fi) may be issued to them.	Necessary instructions are already given to the Principals during Principals' Conference, 2015. AMC (computers, printers, photocopiers etc.) should be given at KVs level.

	From – Kendriya Vidyalaya Non – Teaching Association (KEVINTSA)	
23.	Organizing of cluster level Tally ERP-9 workshop / training programme atleast for 21 days for Assistant / UDC / LDC.	Policy matter of KVS.
24.	Grant of ACP / MACP to the Non–Teaching staff after completing of 10, 20, 30 years of KVS regular service earlier appointed as Group D or Lab Attendant at par.	ACP / MACP is granted as per rules and guidelines received from time to time.
25.	Grant of Grade Pay of Rs. 2800/- to Shri S.P. Pandey, Sub Staff of KV, Khandwa at par Shri H.D. Rohit, Sub Staff of KV, No. 2, Bhopal.	Referred case has already been decided as per rules and guidelines received from time to time in the matter.
26.	Uniform provision to Sub Staff who is / are attached with the Laboratory at par the Sub Staff attach with the office.	It is a policy matter of KVS.
27.	Sub Staff may be kept away from dusting / cleaning work as these works are recognized under out sourcing services.	Need not to be discussed as it is a part of duty as per rules.
28.	Fixation of pay and returning of SR (Service Records) of the employees from RO level required acceleration.	The work of pay fixation has been speeded up and Service Records are to be returned as early as possible.

(Isampal)
Deputy Commissioner
& Chairman
JCM – Regional Office, Bhopal